37

III/निग0/सिंगरौली/2017/3964

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0 प्र0 सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म. प्र.

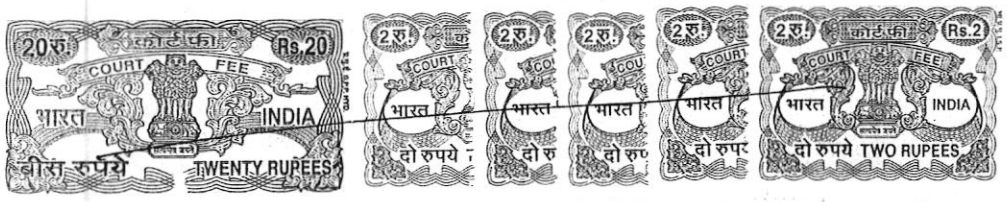

रु. 30/-

1:- जगजीवन पिता बच्चूलाल जयसवाल उम्र 50 वर्ष

2:- सोना प्रसाद पिता झूलूर जयसवाल उम्र 45 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम घुम्मा डोल तहसील सरई जिला

सिंगरौली (म0 प्र0) ----- निगरानी कर्तागण

अधि0 श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 17-10-17

बनाम

रामाधार पिता भगवत प्रसाद जयसवाल निवासी, ग्राम घुम्मा डोल तहसील सरई जिला सिंगरौली म0 प्र0 ----- गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्र0क्र0 1384/अपील/12-13 आदेश दिनांक 29-8-17 को पारित

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959ई0।

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

---

(1) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि निगरानी कर्ता जगजीवन ने तहसीलदार के प्र. क्र. 4/अ-70-11-12 आदेश दिनांक 20.6.012 के विरूद्ध अनु0 अधि0 देवसर जिला सिंगरौली के न्यायालय मे अपील पेश किया था अनु. अधि0

क्र -2

जगजीवन सोना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / सिंगरोली / भू.रा. / 2017 / 3964

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदकगण के अभिभाषक को प्रकरण की प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 1384 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 62 रकबा 1.21 है. का सीमांकन कराया। सीमांकन के दौरान ज्ञात हुआ कि आवेदक ने अनावेदक की भूमि के अंश रकबा 08 हाथ लम्बा एंव 06 हाथ चौड़े भाग पर अतिक्रमण किया है जिसके कारण अनावेदक ने आवेदक पर संहिता की धारा 250 का दावा प्रस्तुत कर बेदखली की मांग की, जिस पर से तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण क्रमांक 4 अ 70 / 11–12 में आदेश दिनांक 20–6–12 पारित किया तथा आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 187 / 11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–9–13 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी देवसर के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1384 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वाद विचारित रकबा के 08 हाथ लम्बे एंव 06 हाथ चौड़े भाग पर आवेदक का लम्बे समय से कब्जा है जिस पर पुरखों के समय से मकान बना है जिसे अनुचित अतिक्रमण नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो नवीन मकान का निर्माण किया गया है और न ही कब्जे को दो वर्ष के भीतर हटाने का दावा लाया गया हे इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जावें।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम मे उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि का जब अनावेदक ने सीमांकन कराया है तब उसे कब्जे की जानकारी हुई है यदि सीमांकन कार्यवाही गलत हुई है तब सीमांकन कार्यवाही के विरूद्व आवेदक को सक्षम न्यायालय में सीमांकन निरस्त कराने जाना था,परन्तु सीमांकन से कब्जे की पुष्टि होने के आधार पर अनावेदक ने बेदखली का दावा लगाया है और अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित पाये जाने से तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 4 अ 70/11–12 में आदेश दिनांक 20–6–12 से बेदखली के आदेश दिये है जिसके कारण तहसीलदार के आदेश में अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 1384/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29–8–17 उचित होने यथावत् रखा जाता है।

सदस्य